

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प. 4(40)वित्त/बीमा/2024

जयपुर, दिनांक 09.10.2024

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.09.2024 की अभिशंषा पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स (लेवल-14) में कार्यभार संभालने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है:

क्र.स.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री रूपा डिंडोर		2024-25	01.04.2024	अनु.क्षेत्र
2.	श्री सुरेश कुमार मौसलपुरी	अजा	2024-25	01.04.2024	से.नि.31.03.2025
3.	श्री भंवर लाल जल	अजा	2024-25	01.04.2024	
4.	श्री सत्यनारायण माथुर		2024-25	01.04.2024	
5.	श्री प्रकाश सिंह देवडा		2024-25	01.04.2024	
6.	श्री वासुदेव थानवी		2024-25	01.04.2024	
7.	श्री रतनपुरी		2024-25	01.04.2024	
8.	श्री धनराज खिंची	अजा	2024-25	01.07.2024	
9.	श्री अरविन्द जोशी पुत्र श्री नन्द किशोर		2024-25	01.07.2024	
10.	श्री महेन्द्र कुमार तिवाडी		2024-25	01.08.2024	
11.	श्री रजनीश कुमार शर्मा		2024-25	01.08.2024	
12.	श्री पारस कुमार नाहर		2024-25	01.11.2024	से.नि. 31.03.2025
12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भीमराज		2024-25	01.12.2024	
14.	श्री छंगाराम सिंगारिया	अजा	2024-25	01.03.2025	

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se-Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर सभी परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

पात्रता सूची की वरिष्ठता क्रम में आने वाले निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारण से चयन वर्ष 2024-25 में उनके लिए एक पद रिक्त रखते हुए सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति आस्थगित रखी जाती है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	पदोन्नति आस्थगित रखे जाने का कारण
1.	श्री सुनील कुमार जैन	-	01.04.2024	वर्ष 2018-19 से 2020-21 की एपीएआर अप्राप्त होने के कारण

उक्त के अतिरिक्त पात्रता सूची की वरिष्ठता क्रम में आने वाले निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार वर्ष 2024-25 में उनकी सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखी जाती है:-

क्र. स.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखे जाने का विवरण
1.	श्री हमीर सिंह चौहान	-	01.01.2025	इनके विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु ज्ञापन दिनांक 04.09.2024 जारी किया गया है। उक्त अनुशासनिक प्रकरण में दोषमुक्त हो जाने पर इन्हें पदोन्नत किया जाने की अभिशंका की जाती है।

पात्रता सूची में क्रम संख्य 28 एवं 29 पर अंकित कार्मिक श्री बनय सिंह मीणा एवं श्री धनपाल मीणा पुत्र श्री नानगराम अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत आरक्षित कोटा पूर्ण हो जाने के कारण पदोन्नति हेतु वंचित किया गया है एवं क्रम संख्या 30 पर अंकित श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेशचन्द्र के दिनांक 30.09.2024 को सेवानिवृत्ति दिनांक तक इनके लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

श्री रहीस अहमद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक नहीं होने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं।



(धनलाल शैरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यामंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय)।
6. संयुक्त सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को उनके पत्र दिनांक 25.09.2024 के क्रम में।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 9/10/24